न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–398/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00393)

1. मन्नालाल,
2. रामनिवास,
3. सुरेश,
4. लाला पुत्रान स्व. श्री हनुमान जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम भूदरपुरा, तहसील व जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर, तहसील जयपुर जिला जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 10.04.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रथम, जयपुर के आदेश दिनांक 31.05.2018 (प्रकरण संख्या 21/2018) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण के पिता स्व. श्री हनुमान पुत्र काना ब्राहम्ण का विभिन्न भूमि के साथ ग्राम भूदरपुरा, तहसील व जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 63 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होने आगे कथन किया है कि उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 63 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा के साथ अन्य भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु एक आवेदन वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर दिनांक 16.10.2014 को उक्त वाद में प्रतिवादीगण जिसमें राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर भी शामिल है, को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया कि वे उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें, उल्लेखनीय है कि उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार की ओर से कभी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही की गई तथा उक्त वाद में अपीलाधीन खसरा नम्बरान की भूमि के सम्बन्ध में कतिपय प्रतिवादीगण की ओर से उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश के विरूद्ध आपत्ति किये जाने पर न्यायालय ने स्पष्ट निषेधाज्ञा के उक्त आदेश को उक्त खसरा नम्बर की हद तक उक्त आदेश प्रभाव निरस्त किये जाने को आदेश पारित फरमा दिया परन्तु मूल आदेश यथावत कायम रहा। उन्होने कथन किया है कि वादीगण/प्रार्थीगण ने अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की अवहेलना किये जाने की स्थिति में एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए व धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत किया जो अवोदन भी सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर के समक्ष दिनांक 22.10.201 को जानकारी की तो अपीलार्थीगण को तहसीलदार जयपुर की रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर द्वारा उक्त आदेश प्रशासनिक स्तर पर पारित किये जाने की जानकारी हुई इस पर अपीलार्थीगण ने दिनांक 22.10. 2018 को ही सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 25.10.2018 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर अपीलार्थी को उपरोक्त वर्णित तथ्यों की जानकारी हुई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि पटवारी हल्का को यह क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है कि वे किसी निजी खातेदार की खातेदारी भूमि के किसी भू भाग को जिसमें से होकर कभी किसी प्रकार कोई रास्ता कायम नही रहा और ना ही उक्त भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में किया जा सकना संभव है, के सम्बन्ध में ऐसी कोई रिपोर्ट प्रेषित करदे कि उक्त 1 बिस्वा भूमि का उपयोग आमजन/कृषकगण द्वारा रास्ते के रूप में किया जा रहा है इसलिये उसे राजस्व रिकार्ड में आम रास्ते के रूप में दर्ज फरमा दिया जायें और न ही भूमि अभिलेख निरीक्षक को ऐसी किसी रिपोर्ट की अभिशंषा किये जाने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उन्होने कथन किया है कि तहसीलदार जयपुर ने वास्तविक तथ्यों की कोई जॉच किये बिना तथा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस एवं जानकारी दिये बिना प्रकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को दिनांक 28.05.2018 को राजस्थान भू राजस्व अधिनिमय 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु प्रेषित फरमा दिया और लोक अदालत में दिनांक 31.05.2018 को ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित फरमा दिया जिससे संदेह से बाहर स्पष्ट है कि कुछ विशिष्ठ व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहूॅचाने के उद्देश्य से अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के बाहर तथा अपीलार्थीगण को उनके अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी की छाया प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 63 अपीलार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उन्हे बिना पक्षकार बनाये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2018 पारित किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.

हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पटवारी, गिरदावर एवं तहसीलदार जयपुर द्वारा दिनांक 28.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प में रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई गई है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की बिना सहमति एवं अपीलान्ट को बिना सुने ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो लोक अदालत की भावना के विपरित होने के कारण उसे उचित नही ठहराया जा सकता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक 5359 दिनांक 31.05.2018 को निरस्त किया जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 10.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।